16/10/23

वकील उभयपक्ष उप० | बहस सुनी गई | बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया | इस बाजवायी प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील 529/17 मोहनलाल V/s न०पा० कुम्हेर को दिनांक 6-6-23 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया था जिसे इस बाजवा प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुनः नम्बर पर लेने के लिए अपीलान्ट का कहना है कि अपीलान्ट अतिवृद्ध एवं बीमारी से ग्रसित रहता है एवं जयपुर निवास करते है | प्रत्येक ता० पे० पर आना जाना नहीं हो पाता इसलिए वकील साहब ही पैरवी करते है जरूरत पड़ती है तो वकील साहब बुला लेते है | दिनांक 6/6/23 को वकील साहब दीगर न्यायालयों में व्यस्त हो गए और अदालत

NEXT →

क्षेत्रीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल / नरसिंह कुम्हार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाजा मे आनाज पडने पर उप० नहीं हो सके। अपीलान्ट उस दिन जयपुर या अगर भरतपुर मे होता तो जरूर हाजिर हो जाता। वकील की व्यस्तता के कारण अपीलान्ट को स्वत्व के अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित रहता है अतः इस अपील को नम्बर पर लिया जावे। वकील रेस्पो० द्वारा प्रा.पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अनुपस्थित रहने सम्बन्धित नियत दिनांक को अपीलान्ट की ओर से कोई उचित कारण नहीं बताया है इसलिए यह प्रा.पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। चूंकि इस प्रकरण का अभी गुणावगुण पर निर्णय किया जाना शेष है। अपीलार्थी बुजुर्ग है और जयपुर मे निवास करता है यद्यपि उनके द्वारा वकील को अधिकृत किया हुआ है किन्तु दिनांक 6-6-23 को वकील अपीलान्ट दीगर अदालतों मे व्यस्त रहने के कारण अदालत हाजा मे उपस्थित नहीं हो सके। NEXT →	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म व तारीख में जारी हुक्म
	यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी वकील की लापरवाही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। न्यायिक मंशा में मद्देनजर यह अदालत को देखना होता है ताकि किसी भी पक्षकार को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान किया जा सके। केवल टैक्निकल ग्राउण्ड पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाकर उसे गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निस्तारण किया जाना न्याय संगत रहता है इसी न्यायिक मंशा के मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के अभी गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना शेष है लिहाजा प्रा पत्र वाजदावरी स्वीकार योग्य रहता है फिर भी न्यायालय का इस प्रकार समय जाया ना हो और अपीलान इस प्रकार भविष्य में कोताही का दोहरान न करें। यह प्रा पत्र वाजदावरी 300/- रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी आगामी पेशी से पूर्व कॉस्ट की राशि विधिक सहायता केन्द्र भरतपुर में जमा करावे जमा रसीद न्यायालय हाजा में पेश करें। NEXT →	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	मोहनलाल / नगरपालिका कुम्हेर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फैसल शुदा मूल अपील 529/17 मोहनलाल V/s नगर पालिका कुम्हेर को पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अब उभय-पक्ष राजीनामा फैसल शुमार होकर बाद प्रति मूल अपील के साथ शामिल रहे। आदेश आज दिनांक 16/10/23 को सुनाया गया। 16.X.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	